

भारत के राजपत्र भाग-2ए खण्ड-3 के उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
नई दिल्ली

दिनांक: 22/12/2015


अ धि सू च ना

का.आ.

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 जनवरी, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी हैं) अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबंध उत्तराखण्ड राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व परगना	राजस्व तहसील	जिला
1.	लक्सर, प्रहलादपुर, खेडी मुबारिकपुर, गंगनौली, अकबरपुर ऊद, रायसी, कानेवाली रायसिंह, भोवावाली, हबीबपुर कूडी, नैतवाला सैदाबाद।	लक्सर	लक्सर	हरिद्वार

संख्या:-एस-38013/94 /2015-एस.एस.1


(अजय मलिक)
अवर सचिव

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली।